OFFICE OF THE COMMISSIONER OF CUSTOMS (PREVENTIVE), JODHPUR HQRS AT NCR BUILDING, STATUE CIRCLE, C-SCHEME, JAIPUR

FACILITY NOTICE NO. 04/2005
DATE : 05.07.2005

In exercise of the powers vested under Section 45(1) of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), I, Rakesh Misra, Commissioner of Customs, Jodhpur (Hqrs. at Jaipur) hereby appoint M/s Container Corporation of India Ltd. (hereinafter referred as "CONCOR") as the Custodian of imported goods received in containers and Inbond at Inland Containers Depot (ICD) located at Ravatha Road, Kota until they are cleared for home consumption or are warehoused or are transshipped in accordance with the provision of Chapter VIII of the act ibid. Similarly M/s CONCOR will also be the Custodian of Cargo meant for export till these are exported subject to the following conditions:

(i) M/s CONCOR as the Custodian of the goods meant for import and export would be required to comply with the provisions of Section 45(2) of the Customs Act, 1962 as well as rules and regulations and instructions issued from time to time in this regard.

(ii) If any imported goods meant for export are pilfered after unloading and loading thereof in the Customs area while in the custody of M/s CONCOR, then in terms of provisions as laid down under Section 45(3) of the Customs Act, 1962 they shall be liable to pay duty on such goods as applicable.

(iii) M/s CONCOR as Custodian shall pay the cost recovery charges of Customs Officers posted at ICD, as prescribed in advance on quarterly / yearly basis.

(iv) M/s CONCOR as Custodian shall execute a bond for Rs.20 Crore with surety.

(v) The Custodian shall also ensure safe transport of export goods to the port of shipment and shall be responsible for any pilferage loss, damage in transit.

(vi) The Custodian shall not charge or collect any demurrage charge after detention certificate is issued by the Customs Deptt.

(vii) The Custodian shall be responsible for proper receipt, handling and storage of goods and shall also maintain proper records of all such goods.

(viii) The goods which are not cleared for home consumption or warehoused or transshipped within 30 days of unloading thereof on Customs Station or within such further time as the proper officer may allow or if the title to any imported or export goods is relinquished, shall not be sold under Section 48 of the Customs Act, 1962 by the Custodian unless the permission is sought from the proper officer of Customs.

(ix) The Custodian shall also ensure that the time taken for to and fro movement of goods between ICD, Ravatha Road, Kota and Gateway ports should not exceed 10 days.

(RAKESH MISRA)
COMMISSIONER

F.No.VIII(H)48/CT/94/03

Date - 5.7.05

Copy to all as per mailing list.

ADDL. COMMISSIONER (TECH.)

कार्यालय आयुक्त, सीमा शुल्क आयुक्तालय, जयपुर
नव राजस्व भवन, स्टेच्यु सर्किल, सी–स्कीम, जयपुर

फा.सं.VIII(II)48/CT/94/2003/4845 दिनांक – 06.07.2005

सर्वश्री,

1. मानद महासचिव,
   राजस्थान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज,
   राजस्थान चैम्बर भवन एम. आई. रोड जयपुर।
2. अध्यक्ष,
   गारमेंट एक्सपोर्ट एसोसिएशन ऑफ राजस्थान
   जे. – I, जमनालाल बजाज मार्ग,
   सी स्कीम जयपुर।
3. पैट्रेन फेडरेशन ऑफ राजस्थान ट्रेड एवं इंडस्ट्रीज
   फेडरेशन भवन, जौहरी बाजार जयपुर।
4. अध्यक्ष,
   जयपुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एवं इंडस्ट्रीज,
   जौहरी बाजार जयपुर।
5. कार्यकारी सदस्य
   मेवाड़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़,
   मानसिंह का हाउस, भीलवाड़ा।
6. उदयपुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज
   चैम्बर भवन चैम्बर मार्ग
   मेवाड़ इंडस्ट्रीयल एरिया मादरी उदयपुर।
7. अध्यक्ष,
   ज्वैलर्स एसोसिएशन,
   जैहरी बाजार जयपुर।
8. अध्यक्ष,
   राजस्थान टैक्सटाइल्स मिल्स एसोसिएशन,
   बी–1 नवलखा अपार्टमेंट भारत माता पथ,
   जमनालाल बजाज मार्ग, सी स्कीम जयपुर।
9. सर्राफ ट्रेडर्स कमेटी,
   230–जौहरी बाजार जयपुर।
10. जोधपुर हैण्डीक्राफ्ट, निर्यातक एसोसिएशन,
    38–बी. कॉलोनी जोधपुर।
11. रत्न एवं आभूषण निर्यात संवर्धन परिषद,
    राजस्थान चैम्बर भवन,
    तीसरा तल एम. आई. रोड जयपुर।

12. अध्यक्ष,
राजस्थान कॉरपेट निर्माता एवं निर्यातक एसोसिएशन,
बेसमेंट ऑफ राजस्थान चैम्बर भवन, एम.आइ.रोड.,
जयपुर।

13. अध्यक्ष,
राजस्थान ब्रांच मैन्यूफैक्चरर्स एसोसिएशन,
श्रीजी की मोहरी त्रिपोलिया बाजार जयपुर।

14. अध्यक्ष,
फेडरेशन ऑफ राजस्थान हैडीक्राफ्ट्स एक्सपोर्टर्स,
प्लॉट नं. –12, कृष्णा अपार्टमेंट, स्कीम–8, गॉधी पथ,
वैशाली नगर, जयपुर।

15 उपनिदेशक, एपरेल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल,
एपरेल ट्रेनिंग एण्ड डिजाइन सेन्टर,
एस.पी.191, मालवीय इण्डस्ट्रियल एरिया,
केलगिरी सर्किल, जयपुर।

16 महाप्रबंधक,
राजस्थान स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन,
उधोग भवन जयपुर।

17 स्टेशन मैनेजर, इंडियन एयर लाइन्स, नेहरू पैलेस, जयपुर।

18 उपमुख्य नियंत्रक,
आयात निर्यात, उधोग भवन जयपुर।

19. अध्यक्ष, कस्टम हाउस एजेन्टस एसोसिएशन,
जी–1 रत्नाआगार मोती सिंह भौमियो का रास्ता
जौहरी बाजार जयपुर।

20 फेडरेशन ऑफ राजस्थान एक्सपोर्ट
फोरे, जे–1 जमनालाल बजाज मार्ग,
सी स्कीम पो. बो. सं. –377 जयपुर।

21 सेक्रेटरी, भिवाड़ी मेन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन,
49, ढाबा कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स इंडस्ट्रीएल एरिया, भिवाड़ी।

22 क्षेत्रिय प्रबंधक,
केन्द्रीय उत्पाद भंडारण निगम,
ए–2, सिद्धार्थ हाउस, तिलक मार्ग सी– स्कीम जयपुर।

23 लघु उधोग और कृषि और ग्रामीण उधोग
भारत सरकार वित्त मंत्रालय नई दिल्ली ।

24 नोटिस बोर्ड, आयुक्तालय, जयपुर।

25 गार्ड फाइल, सीमा शुल्क तकनीकी शाखा मुख्यालय जयपुर।

इस पत्र के साथ सुविधा सूचना संख्या 4/2005 से 5/2005 की प्रति सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न की जा रही है।

6/7/05

अधीक्षक (तक.)